अध्याय III

आयातित/पुनः आयातित माल का पुनः निर्यात

3.1 प्रस्तावना:

पुन:निर्यात का अर्थ है विशेष उद्देश्यों जैसे जोबिंग, ठेके का कार्यान्वयन, मशीनरी की सर्विस/मरम्मत, मेले/प्रदर्शनी आदि में प्रदर्शन हेतु आयातित माल को वापस भेजना। यह तब भी होता है जब स्वदेश में निर्मित माल को निर्यात के बाद वापस किया गया था और कारणों जैसे दोषपूर्ण, खरीददार की आवश्यकता को पूरा न करने आदि के कारण मरम्मत/पुनः संसाधन हेतु पुनः आयात किया गया।

विभिन्न सीमाशुल्क अधिसूचनाएं विभिन्न परिस्थितियों के माल के आयात पर अंतर्गत शुल्क छूट या शुल्क रियायत देते हुए जारी की गई थी, बशर्ते कि ऐसे माल को विनिर्दिष्ट अवधि में पुन:निर्यात की गई हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि माल का पुन:निर्यात किया गया है, आयातकों द्वारा विशिष्ट समय में माल को पुन:निर्यात करने की शर्त का अनुपालन न करने की स्थिति में आयात के समय पर छूट दिये गये शुल्क को अदा करने के लिए बांड प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। बाँड को रद्द कर दिया जाता है जबकि आयातक ने माल का पुनः निर्यात किया गया हो और अधिसूचना की शर्तों का अनुपालन किया गया हो। ऐसे आयात के बाद उत्पाद शुल्क द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई बॉड के रद्द होने तक महत्वपूर्ण है। अधिसूचना की शर्तों को पूरा करने की विफलता शुल्क के भुगतान को आवश्यक बना दती है जिसमें आयात/पुन:आयात के समय पर छूट या माफी दी गई थी।

3.2 प्रासंगिक अधिसूचनाएं/प्रावधान/नियमावली

दिनांक 01.02.1963 की अधिसूचना सं. 46 सी.शु. के साथ पठित उत्पाद शुल्क की धारा 69 आयातित और गोदाम में रखे माल की अनुमति देती है परंतु शुल्क भुगतान के बिना पुनः निर्यात किये जाने वाले घर की खपत की गई निकासी के लिए नहीं।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 के अनुसार, शुल्क अदा कर आयातित माल को दो वर्षों के अंदर प्रयुक्त या अप्रयुक्त के रूप में पुनः

निर्यात किया जाता है, आयातक शुल्क वापसी के रूप में आयात के समय पर अदा किये गये सीमा शुल्क के अधिकतम 98% तक शुल्क आयात के प्रतिदाय का दावा कर सकता है। उस पर प्रयुक्त माल के लिए वापसी की दरों और शर्तों को संशोधित कर दिनांक 6.2.1965 की अधिसूचना सं. 19/65 में विनिर्दिष्ट किया गया है और उन्हें आयातिम माल (सीमा शुल्क की फिरती) नियमावली, 1995 के पुन: निर्यात द्वारा अधिशासित किया जाता है।

3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह सुनिश्चित करने के लिए कि-

(क) अधिनियम, नियमावली और विनियामकों के अंतर्गत अधिसूचनाओं, प्रासंगिक प्रावधानों की शर्तों का अनुपालन किया गया है।

(ख) बॉंड के पुन: निर्यात को बिना किसी विलंब और राजकोष के राजस्व को बिना हानि पहुँचाये अंतिम रूप दिया जाता है

(ग) पुन: निर्यात अधिसूचनाओं के गलत प्रयोग रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र है

3.4 कार्यक्षेत्र और कवरेज

सीमा शुल्क कमिश्नरियों में से, 2012-13 से 2014-15 (जून 2014 तक आयात किया गया) की अवधि को कवर करते हुए 36 कमिश्नरियों **(अनुबंध 21)** से संबंधित प्रविष्टि बिल (बीएसई)/शिपिंग बिल (एसबी) और संबंधित रिकॉर्डों/दस्तावेजों को आयातित/पुन: आयातित माल की लेखापरीक्षा करने हेतु चयनित किया गया था।

चयनित 36 कमिश्नरियों में से, 34 कमिश्नरियों ने सीमा का सत्यापन करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई और शेष दो कमिश्नरियों[31] ने कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई थी।

जिन पहलुओं पर सूचना मांगी गई थी परंतु कमिश्नरियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी, को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जा सका। मंत्रालय लेखापरीक्षा के लिए 2012-13 से 2014-15 तक पूरे भारत की स्थिति प्रस्तुत कर सकता है।

[31] एनसीएच, मैंगलोर और आईसीडी पटपड़गंज

3.5 नमूना चयन

₹ 15 लाख से अधिक निर्धारणयोग्य मूल्य के साथ पुन: आयात/पुन: निर्यात से संबंधित प्रविष्टि बिल/शिपिंग बिलों के सभी बिलों का चयन किया था; जबकि ₹ 15 लाख से कम निर्धारण योग्य मूल्य के साथ 10% मामलों की ही लेखापरीक्षा में जांच की गई थी।

3.6 सांख्यिकीय सूचना

विभिन्न अधिसूचनाओं (उपरोक्त 1.1 में संदर्भित) के अंतर्गत 34 कमिश्नरियों द्वारा 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान किये गये आयात/पुन: आयातों के 60849 मामलों में से; 15950 (26.21%) मामलों में लेखापरीक्षा नमूना जांच की गई।

वर्ष 2012-13 में, 34 कमिश्नरियों में पुन: निर्यात मामले में ₹ 336 करोड़ के शुल्क सहित ₹ 2043 करोड़ मुद्रा मूल्य वाले 4536 मामले थे जबकि वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 3094 करोड़ मुद्रा मूल्य तथा ₹ 739 करोड़ शुल्क वाले 4751 मामले थे।

लेखापरीक्षा ने केवल 700 मामलों में ₹ 1144.51 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य सहित ₹ 308.26 करोड़ (शुल्क वापसी) के कर प्रभाव सहित अनियमितताएं इंगित की जबकि प्रणालीगत कमी, आंतरिक नियंत्रणों की विफलता, संचालनात्मक असम्यक कार्यता आईसीइएस 1.5 में कमियों और निगरानी विफलता के आधार पर अपूर्ण सूचना के कारण कई मामलों को परिमाणित नहीं किया जा सका।

नीचे दी गई तालिका इन मामलों में शामिल निर्धार्य मूल्य और शुल्क की तुलना मे अधिसूचना वार जांच किए गए मामलों की संख्या के ब्यौरे प्रस्तुत करता हैं।

तालिका: नमूना जांच किये गये मामलों की संख्या और निर्धारण योग्य मूल्य

अधिसूचनाएं	मामलों की कुल संख्या	मामलों की सं. जहां अनियमितताएं पाईं गईं	कुल की %	कुल निर्धारण मूल्य (₹ लाख में)	अनियमितताओं वाले मामलों का नि. मूल्य (₹ लाख में)	कुल का %	शामिल कुल शुल्क (₹ लाख में)	अनियमितताओं वाले मामलों का शुल्क (₹ लाख में)	कुल का %
03/89	1599	102	6.38	37313.09	6074.8	16.28	3277.16	1492.05	45.53
157/90	1719	15	0.87	103097.35	896.66	0.87	47207.92	189.10	0.40
104/94	812	52	6.40	32942.73	1215.06	3.69	2201.49	304.71	13.84
134/94	119	2	1.68	1971.74	27.07	1.37	423.36	7.00	1.65
153/94	1253	34	2.71	20374.22	1536.94	7.54	2461.44	374.08	15.20

अधिसूचनाएं	मामलों की कुल संख्या	मामलों की सं. जहां अनियमितताएं पाईं गईं	कुल की %	कुल निर्धारण मूल्य (₹ लाख में)	अनियमितताओं वाले मामलों का नि. मूल्य (₹ लाख में)	कुल का %	शामिल कुल शुल्क (₹ लाख में)	अनियमितताओं वाले मामलों का शुल्क (₹ लाख में)	कुल का %
158/95	1571	132	8.40	67814.91	9067.25	13.37	8652.35	2332.83	26.96
32/97	1523	71	4.66	92801.87	1099.00	1.18	27347.69	256.17	0.94
27/08	396	165	41.67	17356.09	12073.39	69.56	4077.10	211.56	5.19
12/12	295	-	-	140038.80	-	-	11845.50	-	-
जोड़	**9287**	**573**	**6.16**	**513710.80**	**31990.17**	**6.23**	**107494.01**	**5167.50**	**4.81**

उपरोक्त तालिका में यह देखा गया कि अधिकतम अनियमितताएं अधिसूचना सं. 27/08 सी.शु के मामले में पाई गई थी (41.7%) वह भी इस शर्त के साथ कि पुन: निर्यात शुल्कों (5% से 40%) से संबंधित विनिर्दिष्ट प्रतिशतता का भुगतान के अधीन आयात की तिथि से तीन से अठारह महीनों के अंदर करना होगा।

तीन अधिसूचनाओं में अर्थात 03/89-सी.शु, 104/91-सी.शु और 32/97-सी.शु में जहां अनिश्चित विस्तार शक्तियों एसी/डीसी को प्रदान की गई है, ₹ 328 करोड़ शुल्क प्रभाव सहित 3954 मामलों की नमूना जांच की गई (निर्धारण योग्य मूल्य ₹ 1631 करोड़), ₹ 21 करोड़ (6.25%) के कर प्रभाव सहित ₹ 84 करोड़ (5.14%) की निर्धारण योग्य मूल्य सहित 225 मामलों (5.69%) में अनियमितताएं पाईं गई।

37/97 सी.शु अधिसूचना में, ₹ 273 करोड़ के शुल्क प्रभाव सहित ₹ 928 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य सहित 1523 मामलों की नमूना जांच में से, ₹ 2.56 करोड़ (0.94% के शुल्क प्रभाव सहित ₹ 11 करोड़ (1.18%) के निर्धारण मूल्य सहित 71 मामलों (4.66%) में अनियमितताएं पाईं गईं।

अधिसूचना 158/95 सी.शु के मामले में, जहां पुन: निर्यात विशेष परिस्थिति के अंतर्गत आयात की तिथि से छ: महीनों से तीन वर्षों की अवधि में किया जाना है, वहां अनियमितताओं सहित 132 मामलों में शुल्क प्रभाव (₹ 23 करोड़) का उच्चतम मूल्य था।

इसके अतिरिक्त, 1035 मामलों, जहां चार कमिश्नरियों (मुंबई जोन I, II और III, बैंगलुरू) के अंतर्गत ₹ 98.35 करोड़ की पूर्व निश्चित शुल्क राशि के साथ ₹ 379.18 करोड़ मूल्य का माल था; जिसके रिकॉर्ड उपलब्ध न कराये जाने के कारण जांच नहीं की जा सकी।

अधिसूचना सं. 12/12 सी.शु के मामले में, किये गये आयात के विवरण आईसीडी-कोडीयार, एसीसी-बैंगलुरू, चेन्नै (समुन्द्र), कोचीन (समुद्र) और मुंबई-इंपोर्ट (I) को छोड़कर कमिश्नरियों द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। जबकि एनसीएच, दिल्ली और आईसीडी, तुगलकाबाद कमिश्नरियों ने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाये।

मंत्रालय रिकॉर्ड उपलब्ध न कराने के मामलों सहित सभी मामलों की समीक्षा कर सकता है।

3.7 बाँड को अंतिम रूप देने में लंबन

आयातक/निर्यातक के माल के पुन: निर्यात/आयात की शर्तों पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में, बाँड प्रबंधन को सीमा शुल्क को उचित रूप से सुरक्षित करने के लिए अपनाया गया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि मूल्य और पूर्व निश्चित शुल्क सहित रद्द न किये गये बाँडों के लंबन की संख्या दर्शाते हुए सांख्यिकीय रिपोर्ट/रिटर्न (मासिक/तिमाही/वार्षिक) को तैयार नहीं किया गया था जिसके कारण क्षेत्रीय कार्यालय और सीबीइसी में उच्चतर प्रबंधन द्वारा उनकी निगरानी पर प्रभाव पड़ा। कुल 60849 मामलों (34 कमिश्नरियों) में से, 29 कमिश्नरियों में रद्द न किये गये कुल 22807 बांड (37.48%) शेष थे; जिसमें से वर्ष 2012-13 में 3626, 2013-14 में 3342 और वर्ष 2012-15 में 15839 मामले थे। जबकि 2012-13 की अवधि से पहले 31.03.2015 तक 1388 बाँड रद्द करने के लिए भी लंबित थे। अत: यह दर्शाते हुए कि शुल्क लाभ उठाने को अपरिहार्य बनाते हुए पुन: निर्यात नहीं किया था।

बाँड को अंतिम रूप देने की अधिसूचना-वार लंबन और अंतिम रूप देने में लंबन हेतु कारणों पर रिकॉर्ड के अनुचित/अपर्याप्त प्रबंधन के मद्देनजर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकी। 19 कमिश्नियों में जहां अपूर्ण रिकॉर्ड मौजूद थे, ₹ 52.20 करोड़ के शुल्क सहित 433 मामलों में पुन: निर्यात के प्रमाण रिकॉर्ड किये गये थे।

बाँड प्रबंधन के विस्तृत विश्लेषण से अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण कमिश्नरों की ओर से लापरवाही तथा सीबीईसी द्वारा इसकी निगरानी में कमी का पता चला जिसमें राजस्व प्रभाव निहित हो सकते हैं।

मंत्रालय इन सभी मामलों की समीक्षा कर सकता है और लेखापरीक्षा के लिए मौजूदा स्थिति प्रस्तुत कर सकती है।

3.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष:

लेखापरीक्षित सभी 34 कमिश्नरियों में, छूट सहित पुन: आयात/पुन: निर्यात के अनुपालन में नियोजित पुन: निर्यात मामले, बॉंड रद्दीकरण आदि प्रबंधित करने में नियोजित तंत्र और आंतरिक नियंत्रण की स्थिति है तथा अधिसूचनावार नीचे दर्शाया गया है:

3.9 मरम्मत या पुन: अनुकूलन पुन: प्रसंस्करण, रिफाईनिंग, पुन: निर्माण के लिए भारत में पुन: आयात किये जाने पर माल की छूट (अधिसूचना सं. 158/95-सी.शु दिनांक 14.11.1995)

दिनांक 14 नवम्बर 1995 की अधिसूचना सं. 158/95-उशु उस माल को छूट देती है जो भारत में निर्मित किया गया था, जब मरम्मत, पुन: अनुकूलन के लिए तीन वर्षों में कुल आधारभूत सीमा शुल्क और सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क सहित पुन: प्रसंस्करण या रिफाईनिंग या पुन: निर्माण हेतु एक वर्ष में पुन: आयात किया गया बशर्ते कि आयातक बॉंड को निष्पादन करता हो और उनके आयात की या अनुमत बढ़ाई गई अवधि की तिथि से छ: महीनों के अंदर ऐसे माल के पुन: निर्यात तथा ऐसा करने में विफल रहने पर उस पर उद्ग्राहय शुल्क अदा करने के लिए स्वयं का बाध्य करता है।

अग्रलिखित पैराग्राफों में पाये गये मामलों का विवरण दिया गया है तथा **अनुबंध 22 से 32** में सूचीबद्ध किये गये हैं।

3.9.1 पुन:निर्यात के प्रमाण प्रस्तुत न करने पर शुल्क वसूल करने में विफलता

19 कमिश्निरियों में, शुल्क छूट लाभ प्राप्त करते हुए फरवरी 2009 और जून 2014 के बीच ₹ 84.96 करोड़ मूल्य वाले तथा पुन: आयातित विभिन्न मदों की 151 परेषणों के मामले में, न तो आयातकों ने माल के पुन: निर्यात का कोई प्रमाण प्रस्तुत किया और न ही समय आगे बढ़वाया। विभाग ने आयातकों द्वारा प्राप्त ₹ 23.25 करोड़ की शुल्क छूट

की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। पुन: निर्यात शर्तों के साथ शुल्क मुक्त आयात अनुमत करने वाली अधिसूचना ने बॉंड के मुक्त करने के लिए पुन: निर्यात के प्रमाण के प्रस्तुतीकरण हेतु कोई अवधि भी विर्दिनिष्ट नहीं की है।

लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तर में-

(i) सीमा शुल्क कमिश्नरी, कोलकाता (पत्तन) ने सूचित किया (24.08.2015) कि ₹ 6.84 लाख की सारी राशि सितम्बर 2013 की प्रविष्टि से दो बिलों के अंतर्गत किये गये आयातों के प्रति, मै. चेतन्य रिकैक्ट्री प्रा. लि. से वसूल की गई थी (जून 2015)।

(ii) प्रविष्टि के एक बिल के अंतर्गत आयातों के प्रति आगरा कमिश्नरी ने सूचित किया (जून 2015) कि अन्य पत्तन से माल का पुन: निर्यात किया गया था और पार्टी को शिपिंग बिल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरी, आगरा ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि आयात ने कम पुननिर्यातित 6152 जोड़े जूतों पर ₹ 10.38 लाख (शुल्क+ब्याज) की आनुपातिक फिरती को जमा किया था। विभाग ने पुन: बताया कि पंजीकृत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विनिर्माता होने के नाते, फिरती के दावा के अन्तर्गत निर्यातित माल पर कोई सीमा शुल्क शामिल नहीं था और तदनन्तर मरम्मत/रीकन्डिशनिंग के लिए पन: निर्यात किया गया।

देशज रूप से विनिर्मित माल जिसका निर्यात किया गया था और तदनन्तर पुन: निर्यात की विफलता की स्थिति में पुन: निर्यात किया गया था, के मामले में सीमा शुल्क के भुगतान हेतु लागू सीमा शुल्क अधिसूचना 158/95 के अन्तर्गत पुन: निर्यात की विफलता के कारण उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

मंत्रालय पुन: निर्यात शर्तों के साथ सभी अधिसूचनाओं में पुन: निर्यात का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए समयावधि प्रदान करने पर मंत्रालय विचार कर सकता है। पुन: निर्यात के प्रमाण को विनिर्दिष्ट समयावधि में प्रस्तुत न किये जाने के मामले में मांग नोटिस भेजने के लिए और उद्ग्राहय सीमाशुल्क की वसूली के लिए एक तंत्र को आरंभ किया जा सकता है।

शेष मामलों के लिए विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

3.9.2 विनिर्दिष्ट पुनः आयात अवधि के समाप्त होने के बाद अनुमत शुल्क मुक्त पुनः आयात

अधिसूचना की क्रम सं. (2) के अनुसार, पुनः प्रसंस्करण या रिफाईनिंग या ऐसी ही कुछ प्रक्रियाओं हेतु माल का पुनः आयात अनुमत है जबकि निर्यात की तिथि से एक वर्ष के अंदर आयात किया गया हो बशर्ते कि आयातक बॉंड को निष्पादित करता है कि ऐसी प्रक्रियाओं को क्रेंद्रीय उत्पाद शुल्क नियंत्रण के अंतर्गत फैक्टरी में किया जाएगा।

दो कमिश्नरियों {अहमदाबाद कमिश्नरी और चेन्नै (समुन्द्र) के अंतर्गत आईसीडी खोड़ीयार)} में, विभाग ने अधिसूचना 158/95-सीशु की क्रम सं. 2 के अंतर्गत माल का उचित रूप से निर्धारण किया था, जबकि माल आरंभिक आयात से एक वर्ष के बाद पुनः आयात किया गया था **अनुबंध 22 और 23** में मामलों को सूचीबद्ध किया गया है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

अधिसूचना की गलत क्रम संख्या के अंतर्गत पुनः आयात अनुमत किया गया।

3.10 पुनः प्रसंस्करण हेतु माल का पुनः आयात करना

(क) मै. ग्रेफाईट इंडिया लि. ने ₹ 144.53 लाख शुल्क की छूट प्राप्त करते हुए आईसीडी, दुर्गापुर द्वारा अधिसूचना सं. 158/95 (क्र. सं. 1) के अंतर्गित ''निप्पल सहित ग्रेफाईट इलैक्ट्रोड'' युएचपी ग्रेड ''पुनः आयात (अक्टूबर 2013) किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि जैसा कि आयात दस्तावेज पत्राचार में विनिर्दिष्ट अनुसार प्रसंस्करण हेतु माल को वास्तविक रूप से पुनः आयात किया गया था और प्रक्रिया के दौरान सामग्री (1.442 एमटी) की प्रसंस्करण हानि हुई, ऐसे माल की निकासी लागू क्र.सं. (2) के स्थान पर क्रम सं. (1) के अंतर्गत गलत रूप से अनुमत की गई थी। इसके अतिरिक्त, जैसा कि आरंभिक निर्यात से एक वर्ष से अधिक की अवधि के बाद पुनः आयात किया गया था, इसलिए ये अधिसूचना की क्रम सं. (2) के अंतर्गत अयोग्य थे। इसी प्रकार ₹ 1.45 करोड़ की प्राप्त की गई शुल्क छूट गलत और वसूली योग्य थी।

अपने उत्तर में (अगस्त 2015) विभाग ने बिना दस्तावेज प्रमाणपत्र दिये अधिसूचना की क्रम सं. 1 के अंतर्गत अनुमत लाभ को उचित ठहराया।

विभाग का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के अनुसार प्रक्रिया के दौरान 1.442 एमटी सामग्री की प्रसंस्करण हानि हुई थी जो लेखापरीक्षा तर्क को प्रमाणित करती है कि माल को वास्तव में पुनः प्रसंस्कृत किया गया। अतः क्र. सं. 1 के अंतर्गत एक वर्ष के बाद पुनः आयात के लिए यह अयोग्य है। कुछ मामले **अनुबंध 24 से 26** में सूचीबद्ध किए गए हैं।

3.11 छूट की गलत अनुमति – अन्य एजेंसी का पुनः निर्यात

मै. ग्रेफाईट इंडिया लि. ने प्रविष्टि के तीन बिलों के अंतर्गत ₹ 9.82 करोड़ के विभिन्न ग्रेड मूल्य के इलैक्ट्रोड पुनः आयात किये थे और ₹ 2.36 करोड़ की शुल्क छूट प्राप्त करते हुए अधिसूचना सं. 158/95 की क्र. सं. 1 के अंतर्गत आईसीडी, दुर्गापुर द्वारा निकासी अनुमत की गई थी।

आयातक ने सभी मामलों में आरंभिक निर्यात के समय पर वापसी प्राप्त की परंतु बाद में विभिन्न खरीददारों को सात शिपिंग बिलों के अंतर्गत माल का पुनः निर्यात किया गया। अधिसूचना सं. 158/95 का आवेदन अनियमित था क्योंकि ऐसे मामले जिनमें वापसी की गई है; दिनांक 16.12.96 की अधिसूचना सं. 94/96 सीशु के अंतर्गत नियमित किया गया है जो शुल्क वापसी के अंतर्गत निर्यात किये गये पुनः आयातित माल में छूट अनुमत करती है।

इसलिए, अधिसूचना सं. 158/95 सीशु के अंतर्गत पुनः आयात पर ₹ 236.38 लाख की शुल्क छूट अनुमत की गई।

इसको इंगित किये जाने पर, विभाग ने अनुमत लाभ को न्यायसंगत बताया (सितम्बर 2015) क्योंकि उक्त वास्तविक विदेशी खरीददार के लिए पुनः निर्यात संबंधी कोई शर्त नहीं है और यह भी कहा है कि मामला राजस्व तटस्थ है क्योंकि ग्रेफाईट इलैक्ट्रोड पर वापसी मात्रा आधार पर अदा की गई है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिसूचना सं. 158/95-सीशु मामलों; जिसमें वापसी का भुगतान किया गया है, के पुनः आयात को

नियमित नहीं करता। इसके अतिरिक्त, विभाग का तर्क है कि मामला राजस्व तटस्थ है, गलत है; क्योंकि वापसी दर और पुनः निर्यात मूल्य पहली निर्यात तिथि और पुनः निर्यात तिथि पर समान नहीं हो सकता। वापसी दर यथामूल्य (वि.व. 11-वि.व. 13) 4% और 5% थी जबकि प्रथम निर्यात के समय वापसी की अधिक अनुमति दर्शाते हुए यह 2.4% या ₹ 8 प्रति किग्रा (वि.व. 14-15) थी, जिसकी वसूली नहीं की गई थी।

ध्यान में आए कुछ अन्य मामलों को **अनुबंध 27-28** में सूचीबद्ध किया गया है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

3.12 माल का विलंबित पुनः निर्यात

दिनांक 14 नवम्बर 1995 की अधिसूचना सं. 158/95 सी.शु के अनुसार, वह माल जो भारत में विनिर्मित है तथा पुनः प्रसंस्करण या रिफॉईनिंग या रिमार्किंग आदि के लिए पुनः आयात किया गया है, उसे शुल्क भुगतान से छूट है बशर्ते कि माल को पुनः आयात की तिथि से छः महीनों के अंदर पुनः निर्यात किया गया हो या कोई बढ़ाई गई अवधि छः महीनों की अवधि से अधिक न हो। उपरोक्त शर्त का अनुपालन करने में विफल होने पर, आयातक ब्याज सहित छूट प्राप्त शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

रिकॉर्डों की नमूना जांच से पता चला कि निदर्शी और **अनुबंध 29** में सूचीबद्ध मामलों में, माल को या तो अधिकतम अनुमति योग्य अवधि के बाद या समय बढ़ाने की अनुमति प्राप्त किये बिना छः महीनों की विनिर्दिष्ट अवधि के बाद पुनः निर्यात किया गया था।

3.12 (i) अधिकतम अनुमति योग्य अवधि के बाद माल का पुनः निर्यात

मै. राने (मद्रास) लिमि. और दो अन्य ने असेंबली गियर बॉक्स ने अधिसूचना सं. 198/95 के अंतर्गत चेन्नै समुद्र सीमाशुल्क द्वारा ₹ 1.25 करोड़ के परिचालन मूल्य पर पुनः आयात (दिसम्बर 2011 से नवम्बर 2012) किया। माल को जून 2014 और जून 2015 के बीच अर्थात पुनः आयात की तिथि से एक वर्ष की अधिकतम अवधि के समाप्त होने के बाद पुनः निर्यात किया

गया था। विभाग ने न तो बैंक गारंटी लागू की थी न ही ₹ 37.51 लाख राशि के पूर्वनिश्चित शुल्क की वूसली के लिए कार्रवाई की।

अक्टूबर 2015 में इसे मंत्रालय को बताया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

3.12 (ii) समय आगे बढ़ाने की अनुमति प्राप्त किये बिना विनिर्दिष्ट अवधि के बाद पुन: निर्यात

पाँच कमिश्नरियों (मुन्द्रा, आईसीडी – खोदीयार, अहमदाबाद, कोचीन, आइसीडी- बैंगलूरू एवं एसीसी देवनाहल्ली) में, यह देखा गया था कि 8 मामलों में ₹ 7.10 करोड़ मूल्य का माल ₹ 1 करोड़ की शुल्क छूट सहित छ: महीनों की विनिर्दिष्ट अवधि के बाद पुन: निर्यात किया गया था। एक निदेर्शी मामला नीचे दिया गया है, और दो मामले **अनबंध 29** में सूचीबद्ध किए गए है।

(i) मै. स्टील कास्ट लिमिटेड और दो अन्य ने अहमदाबाद कमिश्नरी के अंतर्गत मुंद्रा पत्तन द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना 158/95 के अंतर्गत दिसम्बर 2012 और अप्रैल 2014 के बीच ₹ 6.68 करोड़ के ''एलॉय स्टील कास्टिंग एफ स्टील कास्टिंग'' और अन्य सामान का पुन: आयात किया। सक्षम प्राधिकारी से समय आगे बढ़ाये बिना छ: महीनों की अवधि के समाप्त होने के बाद माल का पुन: निर्यात (सितम्बर 2013 से फरवरी 2015) किया गया। अत: अधिसूचना की शर्तों को पूरा नहीं किया गया था, आयातक ₹ 90.92 लाख शुल्क की छूट के लिए अयोग्य था।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

3.13 कम पुन: निर्यातित माल पर सीमा शुल्क का उद्ग्रहण न किया जाना

दो कमिश्नरियों {जोधपुर और चैन्नई (समुद्र)} में यह देखा गया कि 4 मामलों में ₹ 4.72 करोड़ मूल्य के माल का कम पुन: निर्यात किया गया था। पुन: निर्यात न किये गये माल पर शुल्क की छूट ₹ 33.63 लाख आंकी गई। **अनुबंध 30** में मामलों को सूचीबद्ध किया गया है।

ध्यान में आई अन्य अनिमतिताओं को **अनुबंध 31 व 32** में सूचीबद्ध किया गया है।

3.14 अधिसूचना सं. 158/95 को लागू करने पर टिप्पणियां

अधिसूचना सं. 158/95 के संबंध में पूर्ववर्ती अवलोकनों के मद्देनजर, यह महसूस किया गया कि अधिसूचना में कोई सुस्पष्ट शर्त नहीं दी गई थी जैसे

i) उसी एजेंसी से माल को पुनः निर्यात करना जिससे माल पुनः आयात किया गया था,

ii) डीजीएफटी द्वारा तैयार की गई किसी निर्यात प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वापसी या लाभ को सीमित करना जबकि माल का पुनः निर्यात अधिसूचना की शर्त पूरी करते हुए किया गया था और

iii) यह प्राधिकारी को निर्णय करना है कि क्या मरम्मत, पुनः अनुकूलन (क्र.सं. 1) या पुनः प्रसंस्करण, रिफाईनिंग या रिमार्किंग आदि (क्र.सं. 2) हेतु ऐसे माल का पुनः आयात किया गया है क्योंकि ऐसे कार्य के प्रति शर्त क्र. सं. 1 और 2 अलग थी।

3.15 जोबिंग हेतु माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा आयातक को दिये गये निर्यात आदेश के कार्यान्वयन हेतु आयातित माल को छूट (दिनांक 1 अप्रैल 1997 की अधिसूचना सं. 32/97 सीशु)

जोबिंग कार्य के बाद उक्त माल को प्रदत्त निर्यात आदेश के कार्यान्वयन हेतु आयातित माल पर अधिसूचना शुल्क छूट प्रदान करती है, उसे निकासी की तिथि से छः महीनों के अंदर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के अंदर आपूर्तिकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट आपूर्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को पुनः निर्यात कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, आयातक को विनिर्दिष्ट शर्तों/प्रक्रियाओं को पूरा करना अपेक्षित था। शर्तों को पूरा न करने की अवस्था में, आयातक को आयातित माल पर उद्ग्राह्य शुल्क अदा करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त, अधिसूचना के क्लॉज (V) के अनुसार, सीमा शुल्क (उत्पाद शुल्क योग्य माल के विनिर्माण हेतु शुल्क की रियायती दर पर माल को आयात करना) नियमावली, 1996 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जोबिंग की जाएगी।

लेखापरीक्षा में निदर्शी और **अनुबंध 33-36** में सूचीबद्ध अनियमितताएं पाई गईं।

3.16 पुन: निर्यात के प्रमाण को प्रस्तुत न करने पर शुल्क वसूली में विफलता

छ: कमिश्नरियों (कोलकाता (पोर्ट), एसीसी, कोलकाता, चैन्नई (हवाई), कोचिन, हवाई और मुंबई जोन-III) में, उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत शुल्क छूट का लाभ प्राप्त कर जोबिंग के लिए मार्च 2009 और जून 2014 के बीच आयातित और ₹ 6.67 करोड़ मूल्य के विभिन्न मदों की या 41 परेषणों के मामले में, आयातकों ने न तो माल के पुन: आयात का कोई प्रमाण प्रस्तुत किया न ही समय अवधि बढ़ाने की मांग की। विभाग ने इन आयातों पर प्राप्त ₹ 1.57 करोड़ की शुल्क छूट की वसूली के लिए कार्रवाई नहीं की।

3.17 माल के विलंबित पुन: निर्यात

मै. आर्मर प्लास्ट ने अधिसूचना सं. 32/97 सी.शु के अंतर्गत एयर कार्गो काम्प्लैक्स, देवनहल्ली, बैंगलुरू द्वारा अगस्त 2013 से मई 2014 के बीच ₹ 4.92 करोड़ मूल्य वाले ''स्टेनलैस स्टील ट्यूबस'' और ''स्टेनलैस स्टील स्टाई लैट्स'' के 8 परेषणों का आयात किया। संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि ₹ 3.55 करोड़ का माल बिना समयावधि बढ़ाये छ: महीनों की विनिर्दिष्ट अवधि के बाद जोबिंग के बाद पुन: आयात किया गया था। इसलिए आयातक ने अधिसूचना की शर्त को पूरा नहीं किया, वह जोबिंग के बाद माल के विलंबित निर्यात के प्रति प्राप्त ₹ 102.31 लाख की शुल्क छूट के लिए योग्य नहीं है।

3.18 जोबिंग के बाद माल का कम पुन: निर्यात

मै. आर्मर प्लास्ट और अन्य दो ने दिनांक 1 अप्रैल 1997 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 32/97 सीशु के अंतर्गत एयर कार्गो काम्पलैक्स, देवनहल्ली, बैंगलुरू द्वारा अक्टूबर 2012 और मई 2014 के बीच प्रविष्टि के 43 बिलों के अंतर्गत स्टेनलैस स्टील ट्यूबस, कैपसीटर, एकीकृत सर्किट, प्रतिरोधक और अन्य सामान आयात किया। संवीक्षा से पता चला कि ₹ 2.79 करोड़ मूल्य का इस आयातित माल का उपयोग जोबिंग के दौरान पूर्णत: नहीं किया गया था। 43 मामलों में माल के पुन: निर्यात पर लगाया गया शुल्क ₹ 77.88 लाख निकाला गया था।

3.19 शुल्क की रियायती दर पर पुनः निर्यात हेतु पट्टे पर मशीनरी, उपस्कर और यंत्रों का अस्थायी आयात (दिनांक 1-3-2008 की अधिसूचना सं. 27/2008 – सी.शु)

उपरोक्त अधिसूचना (जैसे कि संशोधन किया गया) के अनुसार, प्रयोग हेतु आयातित पट्टे पर ली गई मशीनरी, उपस्कर और अस्थायी यंत्र शुल्कों की रियायती दर पर अयोग्य है, यदि वे आयात की तिथि से छः महीनों के अंदर या बढ़ाई गई अवधि से एक वर्ष के अंदर पुनः निर्यात करते हैं। विफल होने की अवस्था में, आयातक ब्याज सहित अंतरिय शुल्क अदा करने के लिए उत्तरदायी है।

आयातक द्वारा उपरोक्त विशिष्ट अवधि परंतु आयात की तिथि से 18 महीनों से अधिक नहीं; में उक्त माल के पुनः निर्यात के लिए बैंक गारंटी वचनबद्धता के साथ एक बाँड लागू करना अपेक्षित है।

3.20 अधिसूचना सं. 27/2008-सी.शु की शर्तों को पूरा न करना

चार कमिश्नरियों (कोलकाता (पोर्ट), कोलकाता (एयरपोर्ट), बैंगलूरू और मुंबई जोन-III) में, संवीक्षा से पता चला कि उपरोक्त अधिसूचना (जैसे कि संशोधन किया गया है) के अंतर्गत शुल्क छूट के लाभ प्राप्त करते हुए ₹ 6.97 करोड़ के सैंड और वॉटर पंप मशीनरी और सहायक सामग्री और अन्य मदों की आठ परेषणों का आयात की किया (अप्रैल 2009 से जून 2014), आयातकों ने न तो माल के पुनः निर्यात का कोई प्रमाण प्रस्तुत किया और न ही एक मामले को छोड़कर समय बढ़ाने की मांग की। विभाग ने इन आयातों पर प्राप्त ₹ 1.81 करोड़ की शुल्क की छूट वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

3.21 छूट की गलत अनुमति

मै. टपरवेयर इंडिया (प्रा.) लिमि. ने प्लास्टिक किचनवेयर और टेबलवेयर के निर्माण हेतु 27/2008 के अंतर्गत चेन्नै समुंद्र सीमा शुल्क द्वारा ₹ 192 करोड़ मूल्य के प्रयुक्त स्टील मोल्ड आयात (2011 से 2014) किये।

संवीक्षा से पता चला कि आयातक और आपूर्तिकर्ता के बीच कोई ठेका या पट्टा समझौता नहीं था जैसा कि अधिसूचना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अपेक्षित था। ऐसे दस्तावेजों के अभाव में, आयातक ₹ 46.50 करोड़ राशि की अधिसूचना के अंतर्गत शुल्क छूट के लाभ हेतु योग्य नहीं था।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

3.22 टिकाऊ प्रकृति के कंटनेर के आयात की छूट (दिनांक 16.03.1994 की अधिसूचना सं. 104/94 सीशु)

टिकाऊ प्रकृति के कंटेनर अधिसूचना सीमा शुल्क के सारे शुल्क और उद्ग्राह्य सारे अतिरिक्त शुल्क से छूट प्राप्त हैं जबकि शर्तों के अंतर्गत वे कंटेनर उनकी आयात की तिथि से छः महीनों या इसके आगे की अवधि के अंदर पुनः निर्यात किये गये हो। आयातक द्वारा अधिसूचना की शर्त पूरी न करने की स्थिति में उद्ग्राह्य शुल्क अदा करने के लिए स्वयं को बाध्य करते हुए एक बाँड का लागू करना अपेक्षित है।

बोर्ड ने समय वृद्धि की अनुमति प्रदान करते हुए दिशा-निर्देशों के साथ निगरानी तंत्र विनिर्दिष्ट करते हुए दिनांक 05.11.1998 को परिपत्र सं. 83/98-सी.शु जारी किया। दिनांक 25.07.2005 को बोर्ड द्वारा कंटेनर के अस्थाई आयात के लिए अपनाई जाने वाली समान प्रक्रिया के लिए परिपत्र सं. 31/2005 जारी किया गया था।

3.23 कंटेनर (शिपिंग एजेंट) के पुनः निर्यात के प्रमाण प्रस्तुत न किये जाने पर शुल्क वसूल करने में विफलता

तीन कमिश्नरियों {कोलकाता (पोर्ट), सीसीपी, विजेवाडा और चैन्नई (सी)} के अंतर्गत, ₹ 190 करोड़ की शुल्क छूट प्राप्त करते हुए अधिसूचना 104/94 के अंतर्गत ₹ 685.99 करोड़ के मूल्य पर टिकाऊ कंटेनर आयात किये (जनवरी 2012 से जून 2014), शिपिंग एजेंट बढ़ाई गई पुनः निर्यात की अवधि वाले मामलों सहित छः महीनों की विनिर्दिष्ट अवधि में पुनः निर्यात का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहे।

शुल्क वसूली (दिसम्बर 2015) के लिए कंटेनर सेल द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

3.24 कंटेनर (आयातक) के पुनः निर्यात के प्रमाण प्रस्तुत न करने पर शुल्क वसूली में विफलता

पाँच कमिश्नरियों (कोलकाता (पोर्ट), लुधियाना, मुंबई जोन-I, मुंबई जोन-II और मुंबई जोन-III) में, मै. सेराटीजिट इंडिया प्रा. लिमि. और अन्य 13 ने इन

आयातों पर ₹ 3.59 करोड़ की सीमा तक अधिसूचना सं. 104/94 सी.शु के लाभ प्राप्त करते हुए शुल्क भुगतान किये बिना 56 प्रविष्टि बिलों के अंतर्गत ₹ 13.63 करोड़ मूल्य के टिकाऊ कंटेनर आयात किये (अक्टूबर 2010 से जून 2014)।

आयातक मामले जहाँ पुन: निर्यात अवधि बढ़ाई गई थी वाले छ: माह की अनुबद्ध अवधि के अन्दर पुन: निर्यात के साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे। विभाग ने छोड़े गए शुल्क की वसूली के लिए बॉंड लागू करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की।

3.25 अनुबद्ध अवधि के समाप्त होने के बाद पुन: निर्यात किया गया माल

बोर्ड का दिनांक 05.11.1998 का परिपत्र सं. 83/98-सीशु दर्शाता है कि सहायक/उप कमिश्नर अन्य तीन छ: महीनों हेतु अन्य समय वृद्धि प्रदान कर सकता है और सीमा शुल्क कमिश्नर अन्य छ: महीनों की वृद्धि प्रदान कर सकता है। देखा गया एक मामला नीचे दर्शाया गया है और **अनुबंध 37 और 38** में अन्य मामलों को सूचीबद्ध किया गया है।

3.25 (i) मै. लॉरेन इंजीनियर्स और विनिर्माता (i) प्रा. लिमि. ने सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 104/94 के अंतर्गत मुद्रा कमिश्नरी के अंतर्गत जून-जूलाई 2012 के दौरान ₹ 1.46 करोड़ के मूल्य पर 'ट्रांसपोर्टेशन रैक' आयात किये गये।

संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय वृद्धि प्राप्त करते हुए माल मई 2013 अर्थात छ: महीनों से अधिक की अवधि समाप्त होने के बाद पुन: निर्यात किया गया था। आयातक द्वारा प्राप्त की गई शुल्क छूट ₹ 37.05 लाख आंकी गई थी।

3.26 कंटेनरों के शुल्क मुक्त आयात हेतु निगरानी तंत्र का अभाव

कंटेनरों के अस्थाई आयात हेतु अपनाये जाने वाली एक समान प्रक्रिया हेतु निर्देशों के अतिरिक्त, बोर्ड का दिनांक 25.07.2005 का परिपत्र सं. 31/205 दर्शाता है कि प्रणाली और डाटा प्रबंधन निदेशालय अनुमत समय में आयातित और निर्यात किये गये कंटेनरों के स्वचालित मिलान हेतु एक मोड्यूल विकास प्रक्रिया में है। परिपत्र के अनुसार, मोड्यूल के विकास तक, निगरानी प्रक्रिया संबंधित सीमा शुल्क हाऊस में हस्त्य रूप से की जानी चाहिए। यद्यपि, यह

पाया गया कि आयातित और निर्यात किये गये कंटेनरों हेतु मोड्यूल को अभी भी तैयार और लागू किया जाना है।

मोड्यूल के अभाव में, तीन कमिश्नरियों में आयातित और पुन: निर्यातित मैचिंग कंटेनरों की मौजूदा हस्त्य प्रणाली की जांच से प्रणाली की कमी का पता चला जो नीचे दर्शाया गया है:

(i) कोलकाता (पोर्ट) कमिश्नरी के अंतर्गत कंटेनर सेल द्वारा कोई प्रणाली तैयार नहीं की जा सकी और कंटेनरों के आयात तथा उनके बाद में पुन: निर्यात की प्रभावी निगरानी में कमी थी। यह प्रमाणित है क्योंकि कंटेनर सेल छ: महीनों की विनिर्दिष्ट अवधि में पुन: निर्यातित न किये गये कंटेनरों की संख्या की किसी समय पर भी जांच करने के लिए उपलब्ध नहीं है। परिणामस्वरूप, बोर्ड द्वारा अधिसूचना और निर्देशों के प्रावधान की अनुपालना में कोई मांग नहीं की गई।

विभाग के (08.06.2015) उत्तर से यह भी प्रमाणित है कि जैसा की उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना में परिकल्पित किया गया है पुन: निर्यात शर्त के पूरा न किये जाने की कंटेनर-वार पहचान का कोई तंत्र मौजूद नहीं है।

(ii) चेन्नै कमिश्नरी कंटेनरों के पुन: निर्यात पर तुरंत आईसीईएस में कंटेनरों की विलंबित स्थिति को अद्यतित करने के लिए कोई प्रणाली आरंभ नहीं कर सकी। प्रणाली में कंटेनरों के पुन: निर्यात के विवरण केवल हस्त्य रूप से ही अद्यतित किये गये हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रणाली में काफी अधिक लबंन हुआ।

(iii) हैदराबाद कमिश्नरी के अंतर्गत सीमा शुल्क (निवारक) कमिश्नर, विजयवाड़ा; आयातित कंटेनरों के पुन: निर्यात के संबंध में अधिसूचना के साथ-साथ बॉंड की शर्त का अनुपालन करने के लिए विभाग द्वारा विकसित नहीं की गई।

3.27 मेला, प्रदर्शनी, जूलूस, सेमिनार, कांग्रेस और कांफ्रेस या ऐसी ही घटनाओं पर प्रदर्शन या प्रयोग हेतु आयातित माल हेतु छूट (दिनांक 09.01.89 की अधिसूचना सं. 3/89-सीशु)

अधिसूचना में मेला प्रदर्शनी (अनुसूची II) में प्रदर्शन या उपयोग हेतु आयातित माल (निर्धारण) पर सीमाशुल्क से छूट प्राप्त है बशर्ते कि भारत सरकार के

संबंधित मंत्रालय द्वारा आयात की मंजूरी दी गई हो। आयातक को संबंधित घटना या ऐसी विस्तारित अवधि के आधिकारिक समापन की तिथि से छः महीनों के भीतर माल के पुनर्निर्माण करने वाला एक बांड निष्पादन करना होता है। पुनर्निर्यात करने में विफलता पर आयातक को छूट हेतु वसूलीयोग्य शुल्क का भुगतान करना होगा।

3.28 प्रदर्शनी/त्यौहार के बाद माल के पुर्निर्यात में विफलता

छः कमिश्नरियों में अधिसूचना सं. 3/89-सी.शु. दिनांक 09.01.89 के तहत शुल्क छूट का लाभ लेते हुए मेले में प्रदर्शनी आदि में प्रदर्शन अथवा उपयोग हेतु अगस्त 2009 और जनवरी 2014 के बीच ₹ 65.93 करोड़ मूल्य के जाँच उपकरणों एवं अन्य माल के 105 परेषणों का आयात किया गया था। आयातकों ने न तो माल के पुनर्निर्यात का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया न ही कोई समय विस्तार मांगा। विभाग ने इन आयातकों से ₹ 16.17 करोड़ के शुल्क छूट की वसूली करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया।

इस मामले को जून/सितम्बर 2015 में विभाग/मंत्रालय को बताया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2016)।

3.29 मरम्मत, कायाकल्प, रीइंजीनियरिंग, जांच, ठीक करने अथवा अनुरक्षण हेतु आयातित माल पर छूट

अधिसूचना सं. 134/94-सी.शु., दिनांक 22.06.1994 के अनुसार, मरम्मत, कायाकल्प, रीइंजीनियरिंग के लिए आयातित माल पर सीमाशुल्क से छूट प्राप्त है बशर्ते कि मरम्मत, कायाकल्प, रीइंजीनियरिंग सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार किया गया हो और मरम्मत, कायाकल्प, रीइंजीनियरिंग की माल का निर्यात किया गया हो। लेखापरीक्षा ने निर्धारित शर्तों को न पूरा करने से संबंधित **अनुबंध 39** में सूचीबद्ध दो मामले देखे।

3.30 मरम्मत और वापसी, मंचीय उपकरणों, पांटून, फोटोग्राफिक फिल्मिंग, साउंड रिकार्डिंग इत्यादि के लिए विदेशी मूल की माल पर छूट (अधिसूचना सं. 153/94-सी.शु. दिनांक 13.07.1994)

अधिसूचना (क्र. सं.-1) के तहत मरम्मत एवं वापसी हेतु आयातित विदेशी मूल की माल पर शुल्क से छूट है, बशर्ते कि वे इसमें निहित शर्तों को पूरा

करती हों। आयातक को आयात करते समय तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर इसे पुनर्निर्यात करने में विफलता के मामले में देय शुल्क की मांग पर स्वयं को बाध्य करते हुए एक बांड निष्पादित करना होगा।

3.31 पुनर्निर्यात की विफलता में, उक्त अधिसूचना के तहत शुल्क की गैर-वसूली

दस कमिश्नरियों (कोलकाता (पोर्ट), सीसीपी-कोलकाता, अहमदाबाद, आईसीडी, बैंगलूरू, एसीसी, बैगलूरू, लुधियाना, कोचिन, एसीसी, हैदराबाद, मुंबई जोन-II और मुंबई जोन-III) में, उक्त अधिसूचना के तहत शुल्क छूट का लाभ लेते हुए दिसम्बर 2010 और जून 2014 के बीच ₹ 17.08 करोड़ मूल्य के स्फेरिकल रोलर बियरिंग और विदेशी मूल की अन्य माल के 56 परेषणों का आयात किया गया लेकिन आयातकों ने माल के पुनर्निर्यात का न तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया, न ही समय में कोई विस्तार माँगा। विभाग ने इन आयातकों से ₹ 4.18 करोड़ के शुल्क छूट की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाया। देखा गया एक मामला **अनुबंध 40** में सूचीबद्ध है।

3.32 पुनर्निर्यात की शर्त के साथ विभिन्न अन्य माल के आयात पर छूट (अधिसूचना सं. 12/2012-सी.शु. दिनांक 01.03.2002 और अन्य अधिसूचनाएँ)

अधिसूचना के अनुसार, सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 85, 88, 89 एवं 95 के तहत तथा अधिसूचना के क्र. सं. 449 में विनिर्दिष्ट माल के आयात पर सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है बशर्ते कि छः महीनों के भीतर माल का पुनर्निर्यात किया जाए (शर्त सं. 74)। आयातक को निर्धारित अवधि के भीतर माल के पुनर्निर्यात के लिए एक बांड निष्पादित करना होगा। पुनर्निर्यात करने में विफलता की घटना में आयातक को देय शुल्क के साथ छूट के लिए भुगतान करना होगा।

3.33 लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मै. स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने उक्त अधिसूचना (क्र.सं. 449) के तहत ₹ 84.02 लाख के शुल्क छूट का लाभ लेते हुए मुंबई सीमाशुल्क क्षेत्र II कमिश्नरी के माध्यम से ₹ 3.25 करोड़ मूल्य की एक सीएनसी 3डी कोआर्डिनेटिंग मेजरिंग मशीन का आयात किया।

आयातक ने न तो माल के पुनर्निर्यात का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया, न ही किसी समय विस्तार की मांग की। विभाग ने इस आयात पर लिए गए ₹ 0.84 करोड़ के शुल्क छूट की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

परिचालन खराबी के अन्य मुद्दे

3.34 घरेलू खपत हेतु गैर अनुमत निकासी वाले आयातित खाद्य पदार्थों का गैर-पुनर्निर्यात

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएसएआई), 2006 की धारा 25 के अनुसार अधिनियम के प्रावधान एवें इसमें अन्तर्निहित नियमों व विनियमों के उल्लंघन में कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी अनुरक्षित या मिसब्रैंडेड अथवा खराब खाद्य पदार्थों का आयात नहीं करेगा। इस प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए, बोर्ड (सीबीईसी) ने दिनांक 25 अक्टूबर, 2001 के परिपत्र सं. 58/2001-सी.शु. में प्रावधान किया गया है कि विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं में जांच करने पर विफल पाए गये खाद्य पदार्थों पर सीमाशुल्क प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सामान्य विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए वस्तुओं का देश से बाहर पुनर्निर्यात किया जाए या नष्ट किया जाए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 11 मामलों में सीमाशुल्क आयुक्त (पत्तन), कोलकाता के माध्यम से नवम्बर 2011 और जनवरी 2015 के बीच आयातित खाद्य पदार्थ जैसे-बासमती चावल, पीली मटर, काजू इत्यादि एफएसएसएआई के निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल रहे। आयुक्त/संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क द्वारा अधिनिर्णयन पर खाद्य पदार्थों को इसमें निर्धारित अवधि के अंदर जुर्माने के भुगतान पर पुनर्निर्यात करने की अनुमति दी गई तथा विभाग को पुनर्निर्यात का साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। हालांकि विभाग को आयातित माल को पुनर्निर्यात करने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

इसलिए, उक्त परिपत्र में बोर्ड के दिशा-निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया गया जिससे यह सुनिश्चित हो पाता कि ₹ 2.69 करोड़ मूल्य की आयातित माल का पुनर्निर्यात किया गया अथवा सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा नष्ट किया गया।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

3.35 पुनर्निर्यात हेतु भण्डारित आयातित माल की निकासी

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 69 के अनुसार, कोई भी भण्डारित माल आयात शुल्क का भुगतान किए बिना भारत से बाहर निर्यातित की जा सकती है यदि शिपिंग बिल या निर्यात बिल प्रस्तुत किया गया हो, निर्यात शुल्क, जुर्माना, किराया, ब्याज तथा ऐसी माल के संबंध में देय अन्य प्रभारों का भुगतान कर दिया गया हो और उचित अधिकारी द्वारा निर्यात हेतु ऐसे माल की निकासी का आदेश दिया गया हो।

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय 1 की धारा 2(44) में ''भण्डारित माल'' को गोदाम में जमा किए गए माल के रूप में तथा ''गोदाम'' को धारा 57 के तहत लिए गए एक सार्वजनिक गोदाम या धारा 58 के तहत लाइसेंस प्राप्त एक निजी गोदाम {उक्त धारा 2(43)} के रूप में परिभाषित किया गया था। गैर-अनुपालन एवं प्रणालीगत कमियों के मामलों पर नीचे प्रकाश डाला गया है। .

3.36 पुनर्निर्यात हेतु भौतिक मालगोदाम का त्याग

तीन कमिश्नरियों (कोलकाला (पोर्ट), कोलकाता (एअरपोर्ट) और आईसीडी दुर्गापुर) में, अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि दिसम्बर 2013 और फरवरी 2015 के बीच मालगोदाम हेतु आयातित ₹ 4.53 करोड़ मूल्य की 10 परेषणों को निर्यात मालगोदाम के बिना सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 69 के तहत निर्यात हेतु अनुमत किया गया था। सभी मामलों में सहायक/उपायुक्त, सीमाशुल्क द्वारा माल का भौतिक मालगोदाम छोड़ दिया गया था।

चूँकि विषयगत माल को मालगोदाम में नहीं रखा गया था, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 69 के प्रावधान लागू नहीं होते। इसलिए धारा 69 के तहत शुल्क के भुगतान के बिना गैर-भण्डारित आयातित माल की निकासी, भण्डारण के समय ₹ 1.56 करोड़ सीमाशुल्क सहित सीमाशुल्क के अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन हुआ।

(i) संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क, आईसीडी, दुर्गापुर, ने बताया (अगस्त 2015) कि चूंकि माल निर्यात हेतु तैयार था, निर्यात से पूर्व माल को हटाने/ले जाने में अतिरिक्त व्यय करना पड़ता, उचित अधिकारी ने व्यापार की सुविधा हेतु निर्यात से पूर्व भौतिक भण्डारण की औपचारिकताओं को छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त ऐसे मामले में शुल्क की प्रभार्यता पर चर्चा की गई थी।

(ii) सहायक आयुक्त, आयात बांड, सीमाशुल्क कमिश्नरी, कोलकाता (पत्तन) ने बताया कि वेयर हाउसिंग बिल ऑफ एंट्री के तहत माल को गोदाम में भण्डारित न करने के बावजूद भी भण्डारित माल के रूप में माना जाता है।

विभाग (आईसीडी) दुर्गापुर एवं आयात बांड, जैसा कि ऊपर (i) एवं (ii) में उल्लेख है) का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आयात करने पर माल पर शुल्क देय था। हालांकि जब माल का निर्यात गोदाम से किया गया था, शुल्क का भुगतान नहीं किया जाना था। इस प्रकार, यदि माल का भण्डारण (भौतिक) नहीं किया गया था, शुल्क के भुगतान के बिना माल की निकासी अनुमत करना अनुचित था। दूसरे शब्दों में, धारा69 का लाभ नहीं दिया जाता है यदि माल को गोदाम (भौतिक) में नहीं रखा जाता। इसके अतिरिक्त, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत मानित भण्डारित माल की कोई अवधारण नहीं है।

3.37 भण्डारित माल के पुनर्निर्यात पर अध्याय-3 के लाभ का दावा करने हेतु घोषण

विदेशी व्यापार नीति 2009-14 के पैराग्राफ 3.17.2 के अनुसार एफटीपी के पैरा 2.35 के तहत शामिल आयातित माल का निर्यात वीकेजीयूवाई, एफएमएस, एफपीएस (एमएलएफपीएस) तथा स्टेटस होल्डर्स इंटेसिव स्क्रिप के लिए शुल्क क्रेडिट शेयर हकदारी का पात्र नहीं है।

अहमदाबाद कमिश्नरी के तहत मै. सनराइज स्टेनलेस प्राईवेट लिमिटेड और मै. एपेक्स प्लास्टिसीकॉन को शुल्क का भुगतान किए बिना आयातित भण्डारित माल को पुनर्निर्यात करने की अनुमति दी गई थी (दिसम्बर 2014 से फरवरी 2015)। दोनों निर्यातकों को यह घोषणा करने की अनुमति दी गई थी कि वे ₹ 6.51 करोड़ मूल्य के एफओबी मूल्य हेतु 17 शिपिंग बिलों (दिसम्बर 2014 से मार्च 2015) में अध्याय-3 के तहत लाभ का दावा करेंगे। इसके अतिरिक्त, मै. सनराइज स्टेनलेस प्राईवेट लिमिटेड ने अपनी निर्यात

इन्वाइसेज/पैकिंग सूची में उल्लेख किया कि वस्तुएँ भारतीय मूल की थीं जबकि वास्तव में वे आयातित वस्तुएँ थी। चूँकि वस्तुएँ विदेशी मूल की थी, आयातित माल पर एफटीपी के अध्याय-3 के लाभ का दावा/अनुदान और भारतीय माल के रूप में ऐसी माल का दावा करना अनुचित था।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

3.38 धारा 69 के तहत पुनर्निर्यात शिपिंग बिलों में पहचान योग्य नहीं है

धारा 69 के तहत आयातित माल का निर्यात दो अधिसूचनाओं अर्थात् सं. 45-सी.शु. दिनांक 01.02.1963 एवं सं. 46-सी.शु. दिनांक 01.02.1963 के अंतर्गत शर्तों द्वारा शासित किया जाता है। चेन्नई कमिश्नरी में, यह देखा गया था कि भण्डारित माल के पुनर्निर्यात के लिए धारा 69 के तहत फाइल किए गए शिपिंग बिल एक मुक्त शिपिंग बिल हैं और इसलिए निर्धारण चिन्हित नहीं किए गए थे। वर्तमान में आईसीईएस 1.5 में धारा 69 के तहत किए गए निर्यातों के रूप में एक शिपिंग बिल की पहचान करने का कोई प्रावधान नहीं है। पहचान के अभाव में, निर्धारण अधिकारी के लिए धारा 69 के तहत किए गए निर्यातों के रूप में एक शिपिंग बिल की पहचान न करना तथा अधिसूचना की शर्तों की पूर्णता सुनिश्चित करना संभव नहीं था (वस्तु विवरण की जाँच करने के अलावा)।

तदनुसार, यह सुझाव दिया गया था कि धारा 69 के तहत किए गए निर्यातों के रूप में पहचान करने में निर्धारण अधिकारी को बनाने हेतु निर्यात माड्यूल में एक अलग फील्ड प्रदान किया जाए। विभाग ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और सूचित किया कि इसके कार्यान्वयन हेतु इसे डीजी (प्रणाली) के साथ देखा जा रहा था।

3.39 भण्डारित माल का पुनर्निर्यात सुनिश्चित नहीं किया गया

मुंबई सीमाशुल्क क्षेत्र-I (एनसीएच) एवं क्षेत्र-II (जेएनसीएच) के मालगोदाम बांड रजिस्टर के नमूना जाँच से पता चला कि आयातित भण्डारित माल के पुनर्निर्यात की अनुमति दी गई थी और बांड रजिस्टर में अस्थायी प्रवृष्टि की गई थी। हालांकि, पुननिर्यातित माल का वास्तविक विवरण न तो रजिस्टर में दर्ज किया गया था न ही पुनर्निर्यात का कोई साक्ष्य अभिलेख में दर्ज किया गया था। बांड को भी गैर-रद्द पड़ा दर्शाया गया था। अतः यह सुनिश्चित नहीं

किया जा सका कि इन दो कमिश्नरियों के अंतर्गत भण्डारित क्रमश: ₹ 4.41 करोड़ एवं ₹ 5.95 करोड़ शुल्क वाली आयातित माल का वास्तव में पुनर्निर्यात किया गया था।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

3.40 शुल्क भुगतान किए गए आयातित माल के पुनर्निर्यात पर फिरती

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 में शुल्क फिरती देने का प्रावधान है यदि इस प्रकार अथवा निकासी की तिथि से 18 से 24 महीनों के भीतर उपयोग के बाद माल का पुनर्निर्यात किया जाता है। धारा 74(1) एवं 74(2) के मामले में, और उपयोग के निर्धारण का अत्यधिक महत्व है। इसके अतिरिक्त, दोनों मामलों में फिरती का भुगतान आयातित वस्तु (सीमाशुल्क की फिरती) नियमावली, 1995 के पुनर्निर्यात द्वारा शासित की जाती हैं। गैर-अनुपालन की घटनायें एंव प्रणालीगत कमियों को नीचे दर्शाया गया है और सात मामलों (मौद्रिक मूल्य 37.78 लाख) को **अनुबंध 41-45** में सूचीबद्ध किया गया है।

3.41 कथन आदेश के बिना फिरती की अनुमति

बोर्ड ने परिपत्र सं. 46/2011-सीमाशुल्क दिनांक 20 अक्टूबर 2011 के पैरा सं. 3.1 और परिपत्र सं. 35/2013-सीमाशुल्क दिनांक 5 सितम्बर 2013 के पैरा 2 के अनुसार, धारा 74 या अन्यथा के अंतर्गत शुल्क फिरती की मंजूरी देते समय यह सुनिश्चित किया जाना था कि सभी मामलों में सहायक/उपयुक्त, सीमाशुल्क प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए, पुनर्निर्यात के तहत माल की पहचान सुनिश्चित करने से संबंधित विस्तृत कारण बताते हुए और उपयोग का निर्धारण, यदि कोई हो, तो एक कथन आदेश पारित करेगा।

चार कमिश्नरियों में फिरती मंजूरी फाइलों की नमूना जॉच से पता चला कि 42 मामलों में उक्त निर्देशों के उल्लंघन में कथन आदेश पारित किए बिना ₹ 2.64 करोड़ की फिरती की मंजूरी दी गई थी।

(i) संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क, आईसीडी, दुर्गापुर दिनांक 30.06.2014 को जारी फिरती मंजूरी आदेश का संदर्भ देते हुए इस पर कथन आदेश के रूप में गलत टिप्पणी किया, जबकि कथन आदेश जारी करने की मंशा और इसकी

विषय-वस्तु को बोर्ड के परिपत्र सं. 46/2011-सीमाशुल्क दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 में स्पष्ट किया गया था।

(ii) सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, कोलकाता विमानपत्तन (डीबीके) ने सूचित किया (सितम्बर 2013) कि कार्यकारी अधिकारियों को सूचना भेजने में संवादहीनता के कारण एसीसी में जुलाई 2013 तक कोई भी कथन आदेश नहीं दिया गया था।

हालांकि जुलाई 2013 के बाद बोर्ड के निर्देशों का पालन किया गया था।

सीमा शुल्क कमिश्नर (निवारक) कोलकाता ने बताया (अक्टूबर 2015) कि स्पीकिंग आदेश को जारी करने की केाई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि फिरती दावों को संवीक्षा के माध्यम से सस्वीकृत और संसाधित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि दिनांक 20 अक्टूबर 2011 के बोर्ड के परिपत्र के अनुसार धारा 74 के अन्तर्गत फिरती दावों के सभी मामलों में स्पीकिंग आदेश पारित किया जाना था।

3.42 निर्यात माल के उपयोग का निर्धारण किए बिना उच्चत्तर दर पर फिरती की अनुमति

धारा 74(1) की शर्तों के अतिरिक्त, आयातित माल नियमावली, 1995 के पुनर्निर्यात के नियम 4(ए)(iii), में प्रावधान है कि शिपिंग बिल/निर्यात बिल में यह घोषणा होनी चाहिए कि आयातित माल का उपयोग नहीं किया गया था।

दो कमिश्नरियों में, अभिलेखों की संविक्षा से पता चला कि जुलाई 2012 से मई 2014 के बीच आयातित 11 परेषणों पर उपयोग का निर्धारण दर्ज किए बिना सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74(1) के तहत 98 प्रतिशत आयात शुल्क दर पर फिरती अनुमत की गई थी। ऐसे मामलों को नीचे दर्शाया गया है।

(i) आईसीडी, दुर्गापुर ने अक्टूबर 2013 में 408 मी.ट. 'इलेक्ट्रोड ग्रेड कैल्साइन्ड पिच निडिल कोक' के आयात हेतु मै. ग्रेफाइड इंडिया को मई 2014 में 99.38 के फिरती की मंजूरी दी। ₹ 101.41 लाख के शुल्क के भुगतान पर जनवरी 2013 से पहले माल का आयात किया गया था। स्वीकृत प्राधिकारी ने

शुल्क फिरती के रूप में आयात के समय भुगतान किए गए 98 प्रतिशत शुल्क को अनुमत किया।

संवीक्षा से पता चला कि आयातित वस्तु (सीमाशुल्क फिरती) नियमावली, 1995 के पुनर्निर्यात के नियम 5(2)(ए) के अनुपालन में निर्यात के समय सीमाशुल्क के समुचित अधिकारी द्वारा कोई भी जाँच रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74(1) तहत आयातित माल के उपयोग सहित शिपिंग बिल की तीन प्रतियों पर ऐसी जाँच रिपोर्ट के बिना एवं कथन आदेश जारी किए बिना 98 प्रतिशत दर पर फिरती अनुमत की गई थी।

जाँच रिपोर्ट के अभाव ने दर्शाया कि माल का उपयोग नहीं किया जाना था और आयात एवं निर्यात की निकासी तिथि के बीच लंबी अवधि (9 महीनों से अधिक) को देखते हुए आयात पर अधिसूचना सं. 19/65 दिनांक 6.2.1965 की शर्तों के अनुसार अदा किए गए शुल्क में से 70 प्रतिशत घटाकर फिरती देय थी, जो ₹ 0.71 करोड़ (₹ 1.02 करोड़ का 70%) बनता था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.28 करोड़ (₹ 0.99 करोड़ – ₹ 0.71 करोड़) की फिरती का अधिक भुगतान हुआ।

संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क, दुर्गापुर ने बताया (20.08.2015) कि उचित अधिकारी द्वारा जाँच की गई थी लेकिन शिपिंग बिल की तीन प्रतियों में अनजाने में रिपोर्ट में पृष्ठांकित नहीं किया गया था। चूँकि ऐसी चूक न केवल निर्धारित प्रक्रिया का गैर अनुपालन दर्शाती है बल्कि इसमें जटिलतायें भी थी क्योंकि फिरती की दर माल के उपयोग पर निर्धारित किया जाना था, जिसका भी उल्लेख नहीं किया गया था।

(ii) नमूना जाँच से पता चला कि 10 मामलों में आयुक्त, सीमाशुल्क, (निवारक), पश्चिम बंगाल के अंतर्गत फिरती सेल ने निर्यात माल के उपयोग का निर्धारण किए बिना और कथन आदेश जारी किए बिना सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 के तहत मार्च और अक्टूबर 2014 के बीच अदा किए गए आयात शुल्क के 98 प्रतिशत दर पर ₹ 82.92 लाख का फिरती मंजूर किया था। आगे संवीक्षा से पता चला कि निर्यातकों ने न तो अपनी माल को अनुपयोगी घोषित किया था, न ही शिपिंग बिलों में जाँच

रिपोर्ट में माल के उपयोग पर कोई उल्लेख किया था कि माल का निर्यात किया गया था।

आयात पर अदा किए गए प्रविष्टिवार शुल्क का बिल दर्शाने वाली विस्तृत गणना शीट के अभाव में अधिसूचना 19/65 दिनांक 06.02.65 के तहत घटी हुई दर पर देय फिरती सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

सीमा शुल्क कमिश्नर (निवारक) पश्चिम बंगाल ने बताया (अक्टूबर 2015) कि शिपिंग बिल्स ओर अन्य दस्तावेजो से यह बताया जा सकता है कि परेषणों को 'ऐसी स्थिति' में पुन: निर्यात किया गया था।।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह प्रमाणित करने के लिए लेखापरीक्षा को कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे कि परेषणों का ऐसी स्थिति में पुन: निर्यात किया गया था। इसके अतिरिक्त शिपिंग बिल और जाँच रिपोर्ट यह नहीं बताती है कि माल अप्रयुक्त स्थिति में थे।

3.43 शिक्षा उपकर शामिल करने के पश्चात् शुल्क फिरती का प्रतिदाय

बिल अधिनियम की शर्तों के अनुसार, 9 जुलाई 2004 से और 1 मार्च 2007 से आयातित सभी माल पर सीमाशुल्क के रूप में क्रमश: शिक्षा अधिभार और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर वसूला गया था। इसके अलावा यह प्रावधान था कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधान एवं इसमें निहित नियम व विनियम, शुल्क से छूट और प्रतिदाय तथा जुर्माना लगाने से संबंधित सभी नियम आयातित माल पर शिक्षा उपकर लगाने तथा वसूली के संबंध में लागू होते हैं, ऐसी माल पर सीमाशुल्क की वसूली एवं संग्रहण से संबंध में लागू होते हैं।

धारा 74 के तहत संस्वीकृत शुल्क फिरती के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि सीमाशुल्क आयुक्त, कोलकाता (विमानपत्तन एवं प्रशासन) (2013-14 से) और आईसीडी दुर्गापुर आयात के समय भुगतान किए गए दोनों शिक्षा उपकर का फिरती प्रतिदाय करता है जबकि दो अन्य कमिश्नरियाँ, अर्थात कोलकाता (पत्तन) एवं निवारक, पश्चिम बंगाल ने शिक्षा उपकर का प्रतिदाय नहीं अनुमत किया। इस प्रकार इन चार कमिश्नरियों के तहत शुल्क फिरती के

भुगतान की व्यवस्था में अंतर था जिसे बोर्ड द्वारा उचित स्पष्टीकरण जारी करके दूर किया जा सकता था।

उत्तर में, सहायक आयुक्त सीमाशुल्क, कोलकाता एयरपोर्ट (एसीसी) ने बताया (सितम्बर 2015) कि एसीसी में जुलाई 2013 तक शिक्षा उपकर कटौती की प्रथा गलत अवधारणा के कारण थी, हालांकि अवधि के बाद शुल्क फिरती की गणना शिक्षा उपकर सहित शुल्क की राशि पर की गई थी।

सीमा शुल्क कमिश्नर (निवारक), पश्चिम बंगाल ने बताया (अक्टूबर 2015) कि भविष्य में इस मुद्दे का ध्यान रखा जाएगा।

3.44 शासन, जोखिम एवं नियंत्रण मुद्दे:

लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना, सीबीईसी के अधिकारिक वेबसाइट में उपलब्ध सूचना केवल मई 2015 तक लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध आईसीईएस 1.5 डाटा के आधार पर डाटा की गुणवत्ता, प्रबंधन, कमिश्नरियों द्वारा आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी का मूल्यांकन किया गया था। लेखापरीक्षा अवलोकन निम्नलिखित हैं:

(क) 2012-13 (जून 2014 तक) की अवधि के लिए पुनर्निर्यात मामलों पर एक स्पष्ट स्थिति प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित वेबसाइटों/प्रतिवेदनों से विश्लेषण हेतु डाटा/सूचना एकत्र करने का प्रयास किया:

(1) www.cbecddm.gov.in (CBEC)

(2) वित्त मंत्रालय की वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की वार्षिक प्रतिवेदन।

(3) 2015-16 की सीबीईसी, वित्त मंत्रालय परिणामी ढांचा दस्तावेज।

लेखापरीक्षा उपरोक्त वेबसाइटों/दस्तावेजों में माल के पुनर्निर्यात पर पैन इंडिया डाटा का पता नहीं लगा सकी। परिणामी ढॉचा दस्तावेज में निर्धारण क्रिया-कलाप के लिए सफलता सूचकों में से एक रूप में पुनर्निर्यात मामलों की पहचान नहीं की जाती है जबकि जून 2014 तक 22807 से अधिक बिना रद्द किए हुए बांड लंबित थे। सेज क्षेत्रों, ईओयूज़ (लगभग 25% व्यापार करने वाले) से निर्यात के मामलों को सीबीईसी-सीमाशुल्क ईडीआई, आईसीईएस द्वारा संग्रहीत की नहीं किया गया था। इसी प्रकार, पुनर्निर्यात/पुनर्आयात शर्तों के

अननुपालन द्वारा प्रभावित लाइसेंस शर्तों को प्रणाली स्तर पर संयोजित नहीं किया जा सका, क्योंकि डीजीएफटी (ईडीआई) आईसीईएस के साथ नहीं जुड़ा था। कमिश्नरियों द्वारा शामिल केवल 31% व्यापार की लेखापरीक्षा की गई थी। कमिश्निरियों/सीबीईसी द्वारा लेखापरीक्षा को संबंधित सूचना प्रदान करने में अक्षमता और ढिलाई के बावजूद सीमाशुल्क राजस्व वाले सामानों के गैर-अनुपालन के मामलों पर ₹ 308.26 करोड़ की अनियमिततायें देखीं गई। प्रणालीगत स्तर पर और आंतरिक नियंत्रण खराबी के कई मामलों को आवश्यक अभिलेखों के अभाव में निर्धारित नहीं किया जा सका।

(ख) सीबीईसी-सीमाशुल्क के आईसीईएस 1.5 में कमियाँ

आईसीईएस 1.5 डाटा निर्देशिका में 275 तालिकायें (कॉलम शीर्ष) हैं जिसमें प्रविष्टि बिल, शिपिंग बिलों में सभी सूचनायें/आंकड़े शामिल हैं। पुनर्निर्यात मामलों के संबंध में अप्रैल 2012 से मई 2013 की अवधि हेतु उपलब्ध डम्प डाटा (आईसीईएस 1.5) के विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

(i) पुनर्निर्यात शर्तों के साथ बिल प्रविष्टि बिल के माध्यम से आयातित माल के निर्यात की निगरानी का कोई तंत्र नहीं है। इसके अलावा, प्रणाली में पुनर्निर्यात शर्तों के साथ विवरण बी/ई के लिए पुनर्निर्यात विवरण शामिल करने का कोई तंत्र नहीं है।

(ii) पुनर्निर्यात अधिसूचना के प्रति आयातों की वैधता जिसमें अनिवार्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना विनिर्दिष्ट है, का आईसीईएस के माध्यम से विश्लेषण नहीं किया जा सका क्योंकि ऐसी कई घटनाओं में आईसीईएस में ऐसे विवरण उपलब्ध नहीं हैं। यह नोट किया जाए कि ऐसी भी घटनायें हुई जहाँ ऐसे प्रमाणपत्रों के कॉलम शीर्ष हैं, लेकिन वे खाली हैं और परिणाम स्वरूप लेखापरीक्षा यह नहीं सुनिश्चित कर सकती कि ये प्रस्तुत की गई हैं या नहीं। वर्ष 2012-13 के आईसीईएस 1.5 अंतरण डाटा के विश्लेषण से पता चला कि ₹ 75.92 करोड़ राशि की शुल्क छूट वाली 830 बिल प्रविष्टि के अंतर्गत 9939 मदों में यह अनिवार्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना मंजूरी दी गई थी कि माल का आयात उसी उद्देश्य से किया गया था जैसा कि अधिसूचनाओं में प्रावधान था।

(iii) यह देखा गया कि चार कमिश्नरियों (अहमदाबाद, कांदला, मुंद्रा एवं जामनगर) में पहले से पुनर्निर्यात शुल्क मुक्त भण्डारित माल के विवरण ईडीआई प्रणाली में दर्ज नहीं किए गए हैं जिसके कारण वेब लेज़र इन मामलों को सक्रिय अथवा रद्द न किया गया दर्शाता है।

चार कमिश्नरियों (मुंबई I, II, III क्षेत्र एवं बैंगलुरू) में विभाग 1036 मामलों का अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहा जहाँ ₹ 98.66 करोड़ के शुल्क का छूट लेते हुए पाँच छूट अधिसूचनाओं के तहत ₹ 379.92 करोड़ के माल का आयात किया गया था। तद्नुसार, अधिसूचनाओं की शर्तों को पूरा करने में प्रभावित पुनर्निर्यात के लिए छूट लेने की पात्रता की जाँच भी लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी।

सीमाशुल्क आयुक्त (विमानपत्तन एवं प्रशासन), कोलकाता से संबंधित दिसम्बर 2011 और जनवरी 2014 के बीच के आईसीईएस आयात डाटा की संवीक्षा से पता चला कि मै. इमप्रेसिव टेक्नोलोजी और 14 अन्य ने अधिसूचना 157/90 का लाभ लेते हुए शुल्क का भुगतान किए बिना ₹ 6.67 करोड़ की लाइट सामग्री, कलर लेजर, लैपटाप आदि का आयात किया। इन माल पर शुल्क छूट ₹ 1.56 करोड़ बनता था।

लेखापरीक्षा को उन माल के पुनर्निर्यात दर्शाने वाले कोई भी अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए थे। इसके अतिरिक्त बांड प्रस्तुत करने सहित निर्धारित प्रक्रियाओं के अभाव में आयातित माल का पुनर्निर्यात भी ईकाई द्वारा नहीं किया गया है। जिसके कारण छूट के लिए किन्तु देय शुल्क की अत्यधिक राशि की सुरक्षा नहीं की गई।

कोलकाता (वायुपत्तन) कमिश्नर प्राधिकारियों ने सूचित किया (सितम्बर 2015) कि तीन आयातको ने पुन: निर्यात के प्रमाण प्रस्तुत किए थे जबकि 12 मामलों में भेजे गए पत्र बिना बाँटे हुए वापिस प्राप्त हुए थे।

(iv) कोलकाता पत्तन एवं विमानपत्तन कमिश्नरियों में, यह देखा गया कि पंजिकाओं में दर्ज आंकड़े आईसीईएस प्रणाली के आंकड़ों से भिन्न थे, परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा इस प्रतिवेदन के संकलन हेतु आंकड़ों पर विश्वास नहीं कर सकती।

(ग) प्रक्रियाओं के दुरूपयोग से बचने के लिए अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र

(i) आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग (आईएडी) की भूमिका

चार कमिश्नरियों (कोलकाता पत्तन, विमानपत्तन, निवारक (पश्चिम बंगाल), पटना) में यह देखा गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग विभिन्न पुनर्निर्यात अधिसूचनाओं के तहत दी गई पुनर्निर्यात शर्तों को पूरा करने की निगरानी के संबंध में कोई जॉच नहीं नहीं कर रहा था तथा साथ ही उचित अभिलेख भी नहीं बनाया था।

कोलकाता (वायुपत्तन) कमिश्नर प्राधिकारियों ने बताया (अक्टूबर 2015) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग कमिश्नरी के किसी अनुभाग या ग्रुप की लेखापरीक्षा नहीं करता। यह मात्र विभिन्न अनुभागों/ग्रुपों और सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा के मध्य एक समन्वयक यूनिट है।

(ii) प्रभावी निगरानी तंत्र का अभाव

लेखापरीक्षा ने देखा कि बोर्ड के निर्देशों के बावजूद पुनर्निर्यात मामलों में बांड लेने एवं वापस देने के लिए कमिश्नरियों में कोई अलग सामान्य बांड और बीजी सेल नहीं था।

शुल्क छूट अनुमत करने वाला सीमाशुल्क प्राधिकरण अधिसूचनाओं, निहित पुनर्निर्यात शर्त को पूरा करने की निगरानी हेतु उत्तरदायी है। हालांकि, सात कमिश्नरियों (कोलकाता पत्तन, विमानपत्तन, निवारक (पश्चिम बंगाल), मुंबई, लखनऊ, आईसीडी तुगलकाबाद और आईसीडी पटपड़गंज) में पुनर्निर्यात मामलों की निगरानी में प्रभावहीनता देखी गई, जिससे 2009 से रद्दीकरण हेतु बहुत से पुनर्निर्यात बांड लंबित हो गए।

आयातकों से निर्धारित समयसीमा की समाप्ति के तुरन्त बाद दस्तावेज मंगाकर या मांग सूचना जारी करके, जहॉ भी आवश्यक था, पुनर्निर्यात मामलों की निगरानी का कोई तंत्र नहीं था। ऐसे मामलों की निगरानी में सुविधा प्रदान करते हुए पुनर्निर्यात लंबित निर्धारण मामलों पर कोई निर्धारण प्रतिवेदन/विवरणी नहीं है।

पुनर्निर्यात बांड का निर्धारण भी सीमाशुल्क की आईसीईएस प्रणाली में उपलब्ध नहीं था।

आईसीईएस में पुनर्निर्यात के संबंधित शिपिंग बिलों के साथ आयात/पुनर्आयात की बिल प्रविष्टि से जोड़ने के लिए कोई माड्यूल नहीं था।

(iii) अभिलेखों के अनुरक्षण में अपर्याप्तता

पुनर्निर्यात मामलों से संबंधित अभिलेख अर्थात् पुनर्निर्यात बांड रजिस्टर, बैंक गांरटी रजिस्टर आदि का अपर्याप्त अनुरक्षण भी निम्नलिखित कमिश्नरियों में देखा गया था:

तीन सीमाशुल्क कमिश्नरियों में [निवारक (पश्चिम बंगाल) के तहत पेट्रापोल एलसीएस, आईसीडी लुधियाना, पटना कमिश्नरी के अंतर्गत जोगबनी एलसीएस] में कोई भी पुनर्निर्यात बांड रजिस्टर नहीं बनाया गया था।

सीमा शुल्क, कमिश्नर (निवारक), पंश्चिम बंगाल ने सूचित किया (अक्टूबर 2015) कि पुन: निर्यात बान्ड रजिस्टर का अब से रखरखाव किया जा रहा है।

सात कमिश्नरियों (कोलकाता पत्तन, कोलकाता विमानपत्तन, मुंद्रा, मुंबई सीमाशुल्क क्षेत्र II एवं नोएडा में आईसीडी दादरी, आईसीडी तुगलकाबाद एवं आईसीडी पटपड़गंज) में पुनर्निर्यात की शर्त पर विभिन्न छूट अधिसूचना के अंतर्गत आयात मामलों को दर्ज करने हेतु पुनर्निर्यात बांड रजिस्टर बनाए गए थे। लेकिन अधिकांश मामलों में रजिस्टरों में प्रविष्टियॉं अनिवार्य विवरणों के बिना की गई थी जैसे-अधिसूचना संख्या, पुनर्निर्यात अवधि की समाप्ति तिथि, छोड़ा गया शुल्क इत्यादि, जिसके बिना पुनर्निर्यात मामलों की निगरानी को सुगम नहीं बनाया जा सका।

आईसीडी लुधियाना में, फिरती दावा रजिस्टर ठीक से नहीं बनाया गया था। अधिकांश मामलों में, फिरती दावा की प्रस्तुति तिथि नहीं लिखी गई थी।

लेखापरीक्षा आईसीईएस 1.5 के माध्यम से मंजूर किए गए पुनर्निर्यात मामलों में डीजी (लेखापरीक्षा) के लिए निर्धारित सुविधा प्रतिशतता जॉंच सुनिश्चित नहीं कर सकी।

पूर्ववर्ती मामलों को देखते हुए यह प्रमाणित है कि सीबीईसी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली आवश्यक अभिलेख निर्धारित करने, निर्धारित अभिलेखों में अनुरक्षण प्रणाली, संबंधित स्तर पर अभिलेखों की लगातार निगरानी, आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा साथ-साथ विश्लेषण और पाई गई टिप्पणियों पर सुधारात्मक कार्रवाई करने में उतना प्रभावी नहीं है।

3.45 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा आपत्तियां सीमाशुल्क राजस्व वाले माल सहित बोर्ड द्वारा जारी निर्देश अथवा अधिनिययम के प्रावधानों, अधिसूचनाओं की शर्तों के गैर-अनुपालन वाले मामलों में देखी गई ₹ 308.26 करोड़ की अनियमितता वाले केवल 26 प्रतिशत व्यापार अंतरण पर आधारित है।

आईसीईएस प्रणाली, सीमाशुल्क अंतरण की प्रक्रिया में जिसका उपयोग किया जाता है, वर्तमान में बांडों को प्रबंधित करने के साथसाथ पुनर्निर्यात मामलों - नहीं है। आईवस्थाके प्रबंधन की व्यसीईएस में लगभग 25% व्यापार करने वाली सेज, ईओयूज़ से पुनर्निर्यात के मामलों को संग्रहीत नहीं किया गया। इसी प्रकार, प्रणाली स्तर पर पुनर्निर्यातअनुपालन द्वारा -पुनर्आयात के गैर/ कि डीजीएफटीप्रभावित लाइसेंस शर्तों को संयोजित नहीं किया जा सका क्यों आ (ईडीआई)ईसीईएस से नहीं जुड़ा था। इसके अतिरिक्त, आईसीईएस में यह सत्यापन जांच नहीं है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित अधिसूचनाओं के तहत लाभ अपात्र आयातकोंनिर्यातकों को नहीं दिया गया / था, अथवा पुनर्निर्यात बांड को रद्द करने के परिणामस्वरूप कमियों को ठीक किया गया था उन पुनर्निर्यातित वस्तुओं के साथ आयातित कंटेनर मेल नहीं खाते थे, पुनर्निर्यात दस्तावेजों की देर से प्रस्तुति और बांड का गैरसमापना - किया गया था।